बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰ (II)ब[3]–23/2011–   /पटना, दिनांक –

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्य शीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 102–तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0001– पटना विश्वविद्यालय" विपत्र कोड– 43–2203001020001 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–968, दिनांक 21.04.2017 के द्वारा तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग, पटना का नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, पटना के रूप में स्तरोन्नयन की तिथि (28.01.2004) के पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2017–18 में पेंशनादि के भुगतानार्थ स्वीकृत रू॰ 3,88,16,000=00 (तीन करोड़ अठासी लाख सोलह हजार रूपये) मात्र के विरूद्ध विभागीय आवंटनादेश संख्या–1(आ), दिनांक 25.04.2017 के द्वारा प्रथम किस्त में रू॰ 3,50,00,000=00 (तीन करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र का अनुदान, पटना विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त करने हेतु आवंटित की जा चुकी है।

2. उक्त स्वीकृति के विरूद्ध निर्गत आवंटन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 31 06 सहायक अनुदान–गैर वेतन विषयशीर्ष में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से शेष रू॰ 38,16,000=00 (अड़तीस लाख सोलह हजार रूपये) मात्र का आवंटन प्रदान किया जाता है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–942, दिनांक 01.09.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नही हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, मांग संख्या तथा विपत्र कोड सहित इकाई एवं आयोजना भिन्न (गैर योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि०प्रा० (II)ब^{3}–23/ 2011– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा० (II)ब^{3}–23/ 2011– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन (विश्वेश्वरैया भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा० (II)ब^{3}–23/ 2011– 38 (अ0)/ /पटना, दिनांक 8.9.2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.09.17

निदेशक

8/9